



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/-रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 14/2020 धारा- 376 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भवानीदीन पुत्र नन्दराम लोधी नि० बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹30,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार



विवेचक-
निरी० वीरेन्द्र कुमार
तिवारी



पैरोकार- थाना मुस्करा
का० ज्ञानेन्द्र कुमार